न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 24/2022

दायर दिनांक–22.02.2022

1. बनारसी देवी पत्नि परसाराम जाति जाट निवासी चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादी

1. जगदीश पुत्र गोरूराम
2. जयचंद पुत्र गोरूराम
3. गोरूराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी तलसिरिया चारण की ढाणी के पास बसे हुए नये है तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री विधाधर सिंह जाखड़
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक–09.05.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3335 रकबा 0.2000 है0, खसरा नम्बर 3341 रकबा 2.5900 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.5900 है0 स्थित है जो वादिनी के कब्जे काश्त की भूमि है।

उक्त भूमि वादिनी की खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण जबरन रास्ता कायम करना चाहते है। अतः प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि खसरा नम्बर 3335 में किसी प्रकार का नया रास्ता नही डाले और न ही एक्स से वाई बिन्दू का सड़क पर सीधा आने के लिये कोई रास्ता नही बनाये तथा वादिनी को उसके कब्जे काश्त की भूमि का शांति से उपयोग उपभोग करने देवें तथा उसमें किसी प्रकार का अवरोध पैदा नही करें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं0 02 की ओर से वकील श्री नेमीचंद डूडी ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी सं0 2 की ओर से जबाब पेश नही करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी नही पेश करना जाहिर किया। वादी ने अपनें वाद–पत्र के समर्थन में प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत 2075–78 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है वादिनी ने भूमि खसरा नम्बर 3335 के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। भूमि खसरा नम्बर 3335 के संबंध में वादिनी ने ना ही जमाबंदी अथवा किसी प्रकार का दस्तावेज पेश किया है ना ही वादिनी की ओर से मौखिक अथवा दस्तावेजी शाक्ष्य पेश किये है जिससे स्पष्ट हो कि वादिनी उक्त भूमि की खातेदारी काश्तकार तथा उसका कब्जा काश्त है। अतः दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के अभाव में [illegible] किया जाना न्यायोचित नही है। फलस्वरूप वाद खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:40 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 24 / 2022 **(बनारसी देवी बनाम जगदीश आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 09.05.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.05.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:40 IST
Reason: SelfAttested